संख्या: 35/2018/376(2)/छप्पन-2018-153/2000

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2018

विषय : राजकीय वायुयान सुपरकिंग एयर बी-200 वीटी-यू0पी0आर के इंजिन मॉडल संख्या-PT6A-42, SI No PCE-PJ0663 का एसेसरीज सहित ओवरहाल कराए जाने के लिए अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-916/ना0उ0नि0/बी-1/2017(पी), दिनांक 19 फरवरी, 2018 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-90/2017/1713/छप्पन-2017-153/2000 दिनांक 24 नवम्बर, 2017 तथा शासनादेश संख्या-28/2018/376/छप्पन-2018-153/2000 दिनांक 22 मार्च, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 24 नवम्बर, 2017 द्वारा राजकीय वायुयान सुपरकिंग एयर बी-200 वीटी-यू0पी0आर0 के इंजिन मॉडल संख्या-PT6A-42, SI No PCE-PJ0663 का एसेसरीज सहित इंजिन ओवरहाल कराए जाने के लिए इंगित शासनादेश दिनांक 24 नवम्बर, 2017 के द्वारा रू0 2,22,80,601/- (रूपए दो करोड़ बाइस लाख अस्सी हजार छः सौ एक मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई थी। निर्माता फर्म मेसर्स प्राट एण्ड व्हिटनी कनाडा, सिंगापुर द्वारा इंजिन तथा एसेसरीज के डीटेल्ड स्ट्रिप/टियर डाउन इंस्पेक्शन के उपरान्त फाइनल कास्ट इस्टीमेट डिटेल रिपोर्ट तथा ई-मेल के अनुसार प्रश्नगत इंजन के एसेसरीज सहित ओवरहाल हेतु फाइनल कास्ट यू0एस0 डॉलर 297869.00 के स्थान पर यू0एस0 डॉलर 312406.91 हो रही है, जो कि भारतीय मुद्रा में रू0 68/- प्रति यू0एस0 डॉलर की विनिमय दर से कुल रूपए 2,33,68,037/- (रूपए दो करोड़ तैंतीस लाख अड़सठ हजार सैंतीस मात्र) (लेटर ऑफ क्रेडिट की धनराशि सम्मिलित करते हुए) होता है, अतः इंगित इंजिन के ओवरहाल हेतु अतिरिक्त धनराशि रूपए 10,87,436/- (दस लाख सत्तासी हजार चार सौ छत्तीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति उक्त इंगित शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2018 द्वारा प्रदान की गई। चूँकि उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माता कम्पनी को साख पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी है, अतः स्वीकृत धनराशि के अग्रिम आहरण तथा साख पत्र खोलने की अनुमति भी दी जानी है। श्री राज्यपाल उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2018 द्वारा प्रदान की गई वित्तीय स्वीकृति के अग्रिम आहरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माता कम्पनी को साख पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। अतः राज्यपाल महोदय स्वीकृत धनराशि का साख पत्र खोलने की अनुमति भी प्रदान करते हैं।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं संख्या-ए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69, दिनांक 10-06-2011 एवं संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15-1(1)/69, दिनांक 18-09-2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किए जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किए जाने की तिथि तक जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा किया जाएगा।

5- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार आहरण/समायोजन में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या क्षति होती है, तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6- उक्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकडों में भी समायोजन करा दिया जाए।

7- उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय/भुगतान के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-90/2017/1713/छप्पन-2017-153/2000 दिनांक 24 नवम्बर, 2017 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-7-280/दस-2018 दिनांक 25 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहें हैं।

भवदीय,

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव।

पृ0सं0: 35/2018/376(3)/छप्पन-2018-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार, ई0एस0 ।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी,, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।